GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER
SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE
MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
ANDHERI (EAST)
MUMBAI – 400 096.
****

NO. SEEPZ SEZ/LAB/506/2016-17/PART-II/2851 23rd September, 2016

CIRCULAR NO./LAB/ 09 /2016-17

Subject :- Proactive measures taken by the Government of India for the welfare, job security, wage security and social security for the workers.

As you are aware that Ministry of Labour & Employment is committed for the welfare and protection of interest of workers particularly in terms of job security, wage security. Therefore Ministry has taken unprecedented measurers to achieve the same objective.

In this connection, notable initiatives had been taken by the Ministry for the welfare of workers as given below :-

1) The minimum wages of non-agricultural workers has been increased by 42% i.e. from Rs. 246/- to Rs. 350/- per day in the C area category, from Rs. 301/- to Rs. 431/- per day for B area category, and from Rs. 368/- to Rs. 523/- per day for A area category.
2) Minimum wages enhanced in all sectors in central sphere simultaneously for the first time.
3) Central Government will pay Bonus on revised norms for the years 2014-15 and 2015-16 to all eligible non-Gazetted officials.
4) Minimum pension under EPS of EPFO has been enhanced to Rs. 1000/- per month.
5) Paid maternity leave is being enhanced from 12 weeks to 26 weeks.
6) A Committee is being constituted to examine the issues related to Social Security for the unorganized sector (eg. Anganwadi Workers, Mid-day Meal Workers, ASHA Volunteers etc.)
7) Pradhan Mantri Rozgar Prosahan Yojana has been launched. In this scheme, Government will contribute the Employer's 8.33 % EPS share for the next 3 years in case of new employment. In Textile sector, Government will pay additional 3.67% EPF share. This will help in enhancing employment opportunities.

.....2/-

भारत सरकार
विकास आयुक्त का कार्यालय
सीप्ज़ - विशेष आर्थिक क्षेत्र,
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई- 400 096

****

फा.सं.सीप्ज़-सेज़/श्रम/506/2016-17/पार्ट-II/28512 दिनांकः 23 सितंबर, 2016

परिपत्र संख्या / श्रम / 09 / 2016-17

विषयः- भारत सरकार द्वारा कामगारों के कल्याण, रोजगार, सुरक्षा वेतन, सुरक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा के लिए किए गए अग्रसक्रिय उपाय ।

जैसाकि आपको विदित है श्रम तथा रोजगार मंत्रालय कामगारों के कल्याण तथा हितों की विशेष कर रोजगार सुरक्षा, मजदूरी सुरक्षा के प्रति विशेष रूप से प्रतिबद्ध है । अतएव मंत्रालय ने उक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए हैं:-

इस संबंध में, मंत्रालय द्वारा कामगारों के कल्याण के लिए की गई उल्लेखनीय पहल इस प्रकार हैः-

1) कृषि से भिन्न क्षेत्र में कार्य करने वाले कामगारों की न्यूनतम मजदूरी 42% बढ़ा दी गई है अर्थात 'सी' एरिया कैटेगोरी के लिए दैनिक मजदूरी 246/- रू. से 350/- रू. प्रतिदिन 'बी' एरिया कैटेगोरी के लिए दैनिक मजदूरी 301/- रू. से 431/- रू. प्रतिदिन तथा 'ए' एरिया कैटेगोरी के लिए 368/- रू. से 523/- रू. प्रतिदिन बढ़ा दी गई है ।
2) सभी सेक्टरों में पहली बार न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई गई है ।
3) केंद्रीय सरकार सभी पात्र अराजपत्रित कर्मचारियों के वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 के लिए संशोधित मानदंडों पर बोनस का भुगतान करेगी ।
4) ईपीएफओ के ईपीएस के अंतर्गत न्यूनतम पेन्शन 1000/- रू. प्रति माह बढ़ाई गई है ।
5) सवेतन मातृत्व छुट्टी 12 सप्ताह से 26 सप्ताह तक के लिए बढ़ाई जा रही है ।
6) असंगठित क्षेत्र के (अंगणवाडी कामगार, मिड-डे मिल वर्करों, आशा स्वयंसेवकों आदि) की सामाजिक सुरक्षा से संबंधित समस्यायों का पता लगाने के लिए समिति का गठन किया जा रहा है ।
7) प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई है । इस योजना की तहत सरकार नए रोजगार के मामलों में अगले तीन वर्षों तक नियोक्ता को 8.33% ईपीएफ शेयर का अंशदान करेगी, टेक्सटाइल क्षेत्रों में सरकार 3.67% का अतिरिक्त ईपीएफ शेयर का भुगतान करेगी । इससे रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी होगी ।

8) National Career Service (NCS) Portal as a Central repository of job-seekers and employers. Over 3.6 crore job seekers and 10 lakh employers registered.
9) Strict enforcement of Labour Laws.
10) Commitment towards tripartite consultative process for the socio-economic welfare and security of the workers.

The government has taken above pro-worker initiatives and made efforts for the welfare of the workers. You are therefore requested, kindly to bring to the notice of all the workers, the pro-active measures taken by the Government.

This issues with the approval of Development Commissioner, SEEPZ-SEZ.

(V. P. Shukla)
Joint Development Commissioner
SEEPZ-SEZ

Copy to. :-

(1) All SEZ units, in Maharashtra, Goa, Diu & Daman.
(2) The president, SEEPZ Gems & Jewellery Manufacturers Association, BFC Bldg.
(3) Chairman, SEEMA, SEEPZ-SEZ, Mumbai.
(4) The Regional Director, EPCES for 100% EOU & SEZ,
(5) IT - Section – for uploading on website.

8) राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल को नौकरी खोजने वालों तथा नियोक्ताओं के लिए केंद्रीय निधान के रूप में विकसित किया जा रहा है । इस पोर्टल पर अब तक 3.6 करोड़ नौकरी तलाशने वाले लोगो तथा 10 लाख नियोक्ताओं ने अपना पंजीकरण करवाया है ।

9) श्रम कानूनों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करना ।

10) कामगारों के सामाजिक-आर्थिक, कल्याण तथा सुरक्षा के लिए त्रिपक्षीय परामर्शदात्री प्रक्रिया के प्रति वचनबद्ध सरकार ने कामगारों के कल्याण के लिए कामगार हितैषी पहल करने के साथ-साथ तथा विशेष प्रयास भी किया हैं ।

अतएव, आपसे अनुरोध है कि आप सरकार द्वारा किए गए अग्रसक्रिय उपाय अपने सभी कर्मचारियों के ध्यान में लाएं ।

यह विकास आयुक्त, सीप्ज़-सेज़ के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(विजय प्रकाश शुक्ल)
संयुक्त विकास आयुक्त,
सीप्ज़-सेज़

प्रतिलिपः-

1) महाराष्ट्र, गोवा, दीव तथा दमण में स्थित सभी सेज़ यूनिट
2) प्रेसिडेन्ट, सीप्ज़ रत्न तथा आभूषण विनिर्माता संघ, बीएफसी बिल्डिंग
3) चेयरमैन, सीमा, सीप्ज़-सेज़, मुंबई
4) क्षेत्रीय निदेशक 100% ईओयू तथा सेज़ के लिए ईपीसीईएस
5) आइटी अनुभाग - वेबसाईट पर अपलोड करने के लिए